



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब नैशनल बैंक)
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर

क्षेत्रीय कार्यालय: 127/128 अंकित विहार
पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
फोन- 7217028797, 7217029196 फैक्स- 0131-24121155
E-Mail: rmmzn@prathamaupbank.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अंचल सम्पत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर नियांकित बंधक सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है और जो कुछ भी है के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ने हुए अनुच्छेद 13(02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

क्र. सं.	शाखा का नाम (सम्पत्ति स्थानी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देयराशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	नीलामी का दिनांक समय व स्थान	
1.	शाखा अलमासपुर मुजफ्फरनगर	श्रीमति बालेश पत्नि अनिल कुमार एवं श्री अनिल पुत्र श्री पाल सिंह जमानतकर्ता: 1. श्री योगेन्द्र कुमार पुत्र श्री नर्थु सिंह, मो. नं० 34, निकट शेखर नर्सिंग होम, आदर्श कालोनी, मुजफ्फरनगर-251001 2. श्रीमति कविता पत्नि श्री विनोद, गली नं० 2 बच्चन सिंह कालोनी, मुजफ्फरनगर-251001	आवासीय मकान स्थित है प्लॉट नं० 49 का हिस्सा, गली नं० 02, खसरा नं० 1265 का हिस्सा, गाँव सरवट (बाहर हूदू), मो० अर्थितपुरम्, बच्चन सिंह कालोनी, परगना एवं तहसील मुजफ्फरनगर में स्थित है, क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मीटर। सिमाएः पूः 15', पं०:15', ज०:30', द०:30', बाजण्डी पूर्व: प्लॉट नं० 49 का अन्य हिस्सा, पश्चिम: रास्ता 18' चौड़ा, उत्तर: प्लॉट नं० 48, दक्षिण: प्लॉट नं० 49 का अन्य हिस्सा।	Rs. 3204371.40 + ब्याज एवं अन्य खर्च 31.05.2023 रु	Rs. 1035000/-	Rs. 103500/-	दिनांक 10.07.2023, सोमवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तेः (1) उक्त सम्पत्तियों ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/माँग ड्राइपट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व सायं 5:00 बजे तक जमा करानी होगी। (3) नीलामी समाप्त समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/माँग ड्राइपट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जब्त कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोलीकर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात् 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्यूनिसिपल/टैक्स/विजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीज एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होंगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की आदायगी भी क्रेता के द्वारा ही वहन की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अवकाश घृणित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। (9) बोली कर्ता को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/माँग ड्राइपट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व शाम 5:00 बजे तक सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास जमा करानी होगी। (10) उक्त सम्पत्तियों जैसा है, जहाँ है, जितना है जैसा है के आधार पर बेची जायेगी। (11) ऋणियों/गारंटी दाताओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसार समर्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्च सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा करा दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बेची हुई राशि यदि कोई है, ब्याज एवं खर्च सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक: 24.06.2023

स्थान: मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)